

The Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014 Act 15 of 2014

Keyword(s): Civil Court, Rajasthan Civil Court, Court, Partly Repealed

Amendment appended: 16 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



राजस्थान राज—पत्र |RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण २०, सोमवार, शाके १९३६–अगस्त ११, २०१४ Sravana 20, Monday, Saka 1936-August 11, 2014

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II) **NOTIFICATION**

Jaipur, August 11, 2014

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 8th day of August, 2014 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) **ACT, 2014**

(Act No. 15 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 8th day of August, 2014]

An

Act

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 5, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), hereinafter referred to as the principal Ordinance,-
 - (i) in sub-section (2), for the existing expression " "Court of Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and to "Civil Judge/Additional

- Civil Judge (Senior Division)" ", the expression " "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Civil Judge/Additional Civil Judge" "shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3), for the existing expression " "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Senior Division)" and the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge (Junior Division)" ", the expression " "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" or the "Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and the "Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge" or the "Civil Judge/Additional Civil Judge" shall be substituted.
- **3.** Amendment of section 6, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 6 of the principal Ordinance, for the existing clauses (3) and (4) of section 6, the following shall be substituted, namely:-
 - "(3) the Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge; and
 - (4) the Court of the Civil Judge/Additional Civil Judge.".
- 4. Amendment of section 7, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 7 of the principal Ordinance, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring in sub-sections (2), (3) and (4), the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 5. Amendment of section 11, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 11 of the principal Ordinance, for the existing expression "Civil Judge (Senior Division)", wherever

occurring in sub-sections (1) and (2), the expression "Senior Civil Judge" shall be substituted.

- **6.** Amendment of section 12, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 12 of the principal Ordinance and in sub-sections (1) and (2) thereof, for the existing expressions "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judges" and "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 7. Amendment of section 12-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 12-A of the principal Ordinance and in sub-sections (1) and (2) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)", "Additional Civil Judge (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges", "Additional Senior Civil Judges" or "Additional Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 8. Amendment of section 13, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 13 of the principal Ordinance and in section itself, for the existing expression "Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expression "Senior Civil Judges and Civil Judges" shall be substituted.
- 9. Amendment of section 14, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 14 of the principal Ordinance and in sub-sections (1), (3) and (4) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" and "Civil Judge" shall be substituted.

- 10. Amendment of section 19, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- For the existing section 19 of the principal Ordinance, the following shall be substituted, namely:-
 - "19. Jurisdiction of other Civil Courts.- (1) Subject as aforesaid,-
 - (i) the Court of a Senior Civil Judge shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of a civil nature of which the value does not exceed five lakh rupees, and
 - (ii) the Court of a Civil Judge shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of which the value does not exceed two lakh rupees.
 - (2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the suits or proceedings already instituted on the date of commencement of the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014 (Act No. 15 of 2014) may be heard and determined by the same court wherein such suit or proceeding has been instituted."
- 11. Amendment of section 21, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In section 21 of the principal Ordinance,-
 - (i) in the marginal heading, for the existing expression "Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)", the expression "Senior Civil Judges and Civil Judges" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (1), for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" and "fifty thousand rupees", the expressions "Senior Civil Judge" and "five lakh rupees" shall be substituted; and
 - (iii) in sub-sections (2) and (4), for the existing expressions "Civil Judge (Junior Division)" and "Civil Judge (Senior Division)", wherever occurring,

the expressions "Civil Judge" and "Senior Civil Judge" shall be substituted respectively.

- 12. Amendment of section 22, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 22 of the principal Ordinance and in sub-section (1) thereof, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judges" shall be substituted respectively.
- 13. Amendment of section 23, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 23 of the principal Ordinance and in sub-sections (1), (3) and (4) thereof, for the existing expression "Civil Judge (Senior Division)", wherever occurring, the expression "Senior Civil Judge" shall be substituted.
- 14. Amendment of section 24, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- In the marginal heading of section 24 of the principal Ordinance and in the section itself, for the existing expressions "Civil Judge (Senior Division)" or "Civil Judges (Senior Division)" and "Civil Judge (Junior Division)" or "Civil Judges (Junior Division)", wherever occurring, the expressions "Senior Civil Judge" or "Senior Civil Judges" and "Civil Judge" or "Civil Judges" shall be substituted respectively.

प्रकाश गुप्ता, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 11, 2014

संख्या प. 2 (30) विधि / 2 / 2014.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान सिविल कोर्टस् (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 15

ऑफ 2014)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:--

(प्राधिकृत हिन्दी अन्वाद) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 15)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अगस्त, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 5 का **संशोधन.-** राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश सं. 7), जिसे इसमें आगे मूल अध्यादेश कहा गया है, की धारा 5 में,-
 - उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति (i) न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) का न्यायालय" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश "सिविल और का न्यायालय" न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी: और
 - (ii) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति " "सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल

न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)" " के स्थान पर अभिव्यक्ति " "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" या "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" या "सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायाधीश" " प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 3. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 6 में, धारा 6 के विद्यमान खण्ड (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "(3) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय; और
 - (4) सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश का न्यायालय।"।
- 4. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 7 में, उप-धारा (2), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीश" या "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 5. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 11 में, उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई है, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 6. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 12 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीशों (विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी

प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर क्रमश: अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

- 7. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 12-क का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 12-क के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड)", "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" या "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमश: अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" या "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों", "अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" या "अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीश" या "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 8. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 13 के शीर्षक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों" और स्वयं धारा में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) और सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 9. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 14 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं, उनके स्थान पर अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 10. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

- "19. अन्य सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.- (1) पूर्वीक्त के अध्यधीन रहते हुए,-
 - (i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को सिविल प्रकृति के किसी भी वाद या मूल कार्यवाहियों को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी, जिसका मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक न हो, और
 - (ii) सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को किसी भी वाद या मूल कार्यवाहियों को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी, जिसका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक न हो।
- (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 15) के प्रारम्भ की तारीख को पहले से संस्थित किये गये वाद या कार्यवाहियां उसी न्यायालय द्वारा सुनी और अवधारित की जा सकेंगी जिसमें ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की गयी थी।"।
- 11. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 21 में,-
 - (i) शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ खण्ड) तथा सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ खण्ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 - (ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्तियों "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)" और "पचास हजार रुपये", के स्थान पर अभिव्यक्तियां "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" और "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और
 - (iii) उप-धारा (2) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)", जहां जहां भी प्रयुक्त हुई

हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश" और "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

- 12. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 22 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश(विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीशों (किनष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।
- 13. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 23 के शीर्षक में और उसकी उप-धारा (1), (3) और (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)", जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई है उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 14. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अध्यादेश की धारा 24 के शीर्षक में और स्वयं धारा में, विद्यमान अभिव्यक्तियां "सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(विरष्ठ खण्ड)" और "सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ खण्ड)" या "सिविल न्यायाधीशों(किनष्ठ खण्ड)" जहां-जहां भी प्रयुक्त हुई हैं उनके स्थान पर क्रमश: अभिव्यक्तियां "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" या "विरष्ठ सिविल न्यायाधीशों" और "सिविल न्यायाधीश" या "सिविल न्यायाधीशों" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

प्रकाश गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव।

10

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937—अप्रेल 27, 2015 Vaisakha 7, Monday, Saka 1937—April 27, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (2) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 16 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 5, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- For the existing sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), the following shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 8th August, 2014, namely:-
 - "(2) References in any enactment or document for the time being in force to the "Court of the Subordinate

Judge" and to "Subordinate Judge" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" as constituted and appointed or deemed as constituted and appointed under this Ordinance."

दीपक माहेश्वरी, Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप—2) अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2015

संख्या प. 2 (2) विधि / 2 / 2015.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान सिविल कोर्टस् (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 16 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का

अध्यादेश सं. 7) की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 8 अगस्त, 2014 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या दस्तावेज में "अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय" तथा "अधीनस्थ न्यायाधीश" के प्रति निर्देश क्रमशः, इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त विरष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" और "विरष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त विरष्ठ सिविल न्यायाधीश" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।"।

दीपक माहेश्वरी, प्रमुख शासन सचिव।